संख्या-3/2020/23/44-1-2020-34/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के
प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2020

विषयः- उपादान संदाय अधिनियम, 1972 के संशोधन के फलस्वरुप उपादान भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रुपये 20 लाख किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों को ग्रेच्युटी ''पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट,1972'' में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2018 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु0 10 लाख से बढ़ाकर रु0 20 लाख हो गयी है, इस पर सहमति व्यक्त की जाती है।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ।
4- सार्वजनिक उद्यम आडिट प्रकोष्ठ।
5- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।